इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 जुलाई 2019—आषाढ़ 12, शक 1941

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. 32-18-2019-मध्यम-इकतीस-169.—यत: जल उपभोक्ता संथाओं एवं एक तिहाई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों और अध्यक्षों के निर्वाचन कार्य की शेष गतिविधियां राज्य विधानसभा एवं लोक सभा निर्वाचन कार्य की गतिविधियां और अचार संहिता लागू होने के कारण तथा वर्तमान में विभाग में मैदानी अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की कठिनाई के कारण संभव नहीं हो सकी थी. अतएव 5,120 सदस्यों और 1,765 अध्यक्षों की पदावधि 3 जनवरी 2019 को समाप्त हो गई. परिणामस्वरूप संशोधन अध्यादेश क्र. 3 सन् 2019 दिनांक 8 मार्च, 2019 के अनुपालन उपरोक्त संथाओं का कार्यकाल छह माह बढ़ाने की अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 145, दिनांक 9 अप्रैल 2019 में प्रकाशित की गई.

उपरोक्त संथाओं की बढ़ी हुई कालावधि तथा 3 जुलाई, 2017 को निर्वाचित 93 जल उपभोक्ता संथाओं के एक तिहाई 360 प्रादेशित निर्वाचन क्षेत्र सदस्यों एवं इन संथाओं के अध्यक्षों की कालावधि भी 3 जुलाई, 2019 को समाप्त हो जाएगी.

अतएव, द्वितीय संशोधित अध्यादेश क्रमांक 5 सन् 2019 जिसे 28 जून 2019 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित किया गया था, द्वारा यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 4 की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1858 जल उपभोक्ता संथाओं के अध्यक्ष और 5480 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों की पदावधि में ऐसी समाप्ति की तारीख अर्थात् 3 जुलाई 2019 से 6 माह की कालावधि के लिए और वृद्धि करती है और निर्वाचन के पश्चात् यह विस्तारित कालावधि धारा 4 की उपधारा (3) और उपधारा (7) में यथाविनिर्दिष्ट कालावधि में समायोजित की जाएगी. उक्त संथाओं के सक्षम प्राधिकारी भी उक्त बढ़ी हुई अवधि तक अपने पद पर रहते हुए कर्त्तव्यों का निर्वाहन करते रहेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्र. 32-18-2019-मध्यम-इकतीस-170.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 32-18-2019-मध्यम-इकतीस, दिनांक 3 जुलाई 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद सिंह टेकाम, उपसचिव.

Bhopal, the 3rd July 2019

No. 32-18-2019-M-XXXI-169.—Whereas, the remaining activities of the election programme of one third members and Chairman of the territorial constituencies for the Water Users' Associations were not possible due to contrivance activities of State Legislative Assembly Election and the Lok Sabha election programme and applicability of the code of conduct and also interrupted due to difficulty of availability of service of field officers at present. Therefore, term of office of the 5120 members and 1765 Chairman had expired on 3rd January 2019. Consequently in compliance of the amendment Ordinance No. 3 of 2019 dated 8th March, 2019 the term of office of the said institutions is extended from 3rd January, 2019 publishing a notification in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) No. 145 dated 9th April, 2019;

And Whereas, the extended period of said institutions and the term of one third members (360) of territorial constituencies of the 93 Water Users' Associations and Chairman of these institutions which were elected on 3rd July, 2017 will also expire on 3rd July, 2019.

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (3) of section 4 of the Madhya Pradesh Sinchai Prabandhan Me Krishkon Ki Bhagidari Adhiniyam, 1999 (No. 23 of year 1999) as amended by second amendment Ordinance No. 5 of 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 28th June 2019, the State Government, hereby, extend the term of office of the Chairman of 1858 Water User's Associations and members of 5480 territorial constituencies for further period of six months from such expiration i.e. 3rd July, 2019 and after election the extended period shall be adjusted as specified in sub-section (3) and sub-section (7) of section 4. The competent authorities of the said institutions shall also hold the posts for such extended period and discharge the duties.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh.
VINOD SINGH TEKAM, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.